परिशिष्ट
एवं
अनुबंध

परिशिष्ट - I

(पैरा 8.2 देखें)

2013-14 के दौरान लेखापरीक्षा के बताने पर वसूलियां

(राशि ₹ लाख में)

मंत्रालय/विभाग का नाम	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षे उपक्रम (सीपीएसई)	संक्षिप्त में लेखापरीक्षा आपत्तियां	लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई राशि वसूली	प्रबंधन द्वारा वसूली गई राशि
इस्पात	स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड वीआईएसपी भद्रावली	डीपीईबी के माध्यम से आयातित माल के लिए सेनवेट क्रेडिट का लाभ न लेना	213.84	213.84
सडक परिवहन और राजमार्ग	नेशनल हार्डवेज ऑथरिटी ऑफ इंडिया	छः लेन चौडाई कार्य के संबंध में बैंक गारंटी को न भुनाना	839.00	839.00
		एनएच-5 के गुडुंगलानु-राजामुन्द्री क्षेत्र से संबंधित 4/6 लेन चौडाई कार्य के लिए संविदा निष्पादित न करना और बोली प्रतिभूति जब्त न करना	1617.00	1617.00
शहरी विकास	नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड	बोनस और पारितोषिक के बदले अनुग्रहपूर्वक का अनियमित भुगतान	127.00	86.00
जल संसाधन	नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड	बैंक से कम ब्याज की प्राप्ति	3.40	2.84
जोड़			**2800.24**	**2758.68**

परिशिष्ट-II

(पैरा 8.3 के संदर्भ में)

लेखापरीक्षा मामले में संशोधन/सुधार

मंत्रालय /विभाग का नाम	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र एन्टरप्राइजिज (सीपीएसई) का नाम	संक्षेप में लेखापरीक्षा आपत्ति/परामर्श	प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई
भारी उद्यम एवं सार्वजनिक उद्योग मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग	इस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा	भविष्य निधि के लिए कर्मचारी के योगदान की दरो को 8.33 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तथा 12 प्रतिशत तक संशोधित किया गया था अर्थात कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान (संशोधन) उपबंध, 1997 को दिनांक 22 सितम्बर 1997 की भारत सरकार, राजपत्रित अधिसूचना द्वारा जारी किया गया जिसे बाद में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान (संशोधन) अधिनियम, 1998 को 22 -9-1997 से प्रभावी किया गया है। कम्पनी जो 01.6.1989 से 10 प्रतिशत की	लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने पर कम्पनी ने सूचित किया (दिसम्बर 2014) कि कर्मचारी के भविष्य निधि में योगदान की दर को सितम्बर 2014 से प्रभावी रूप में 12 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक कम किया गया है।

		दर पर योगदान कर रही थी, ने दिनांक 22.9.1997 की अधिसूचना के अनुसार 10 से 12 प्रतिशत तक वृद्धि की। लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी द्वारा वृद्धि कर्मचारियों के भविष्य निधि में योगदान की दरो में कम्पनी द्वारा की गई वृद्धि भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना संख्या एस-35019/1/97 –एसएस 11 दिनांक 9 अप्रैल 1997 की अनुसूची II के प्रावधानो के अनुसार नहीं थी जिसके अनुसार पीएफ में कर्मचारी की भागीदारी की दर में वृद्धि स्थापना के लिए व्यवहार्य नहीं थी अर्थात (i) 20 से कम कर्मचारियों वाले स्थापन (ii) कोई रूग्ण औद्योगिक कम्पनी तथा (iii) कोई स्थापना जिसमें किसी वित्तिय वर्ष के अन्त पर सम्पूर्ण निवल सम्पति के बराबर अथवा उससे अधिक संचित हानि है। चूंकि कम्पनी को बीआईएफआर द्वारा 1 जनवरी 1994 को रूग्ण कम्पनी घोषित किया गया है तथा दिनांक 9 अप्रैल 1997 की अधिप्रत्रित अधिसूचना की अधिसूची 11 के तहत आने वाले आईएल के द्वारा बढती दर क्रमानुसार नहीं थी।	

इस्पात	**स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड**	कम्पनी ने संयुक्त एचपीएल तथा ईएल दोनो की 300 दिनो की समग्र सीमा से अधिक अपने कर्मचारी को सेवानिवृति के समय अवकाश के नकदीकरण की अनुमति दी थी।	कम्पनी ने अपने छूटटी नियमो में संशोधन किया था तथा 300 दिनों (दोनो ईल तथा एचपीएल को एक साथ लेकर) की सेवानिवृति के समय अवकाश नकदीकरण को प्रतिबंधित किया था।
इस्पात	**फेरो स्क्रेप निगम लिमिटेड**	कम्पनी ने संयुक्त एचपीएल तथा ईएल दोनो की 300 दिनो की समग्र सीमा से अधिक अपने कर्मचारी को सेवानिवृति के समय अवकाश के नकदीकरण की अनुमति दी थी।.	कम्पनी ने अपने छुट्टी नियमो को संशोधित किया था तथा अनुशासनात्मक आधार के अलावा अन्य पर सेवा निवर्तन /सेवानिवृति के समय 300 दिनों (संयुक्त ईएल तथा एचपीएल) की अवकाश नकदीकरण को प्रतिबंधित किया था तथा एचपीएल को रूपान्तरित नहीं किया जाएगा।

परिशिष्ट-III

(अध्याय **IX** देखें)

2014 से पूर्व लेखापरीक्षा रिपोर्टो के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण जिसके लिए ऐक्शन टेकन नोट लम्बित है

रिपोर्ट की संख्या तथा वर्ष	रिपोर्ट का नाम	पैरा संख्या
भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय		
2014 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 13.2
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय		
2014 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 13.1
खान मंत्रालय		
2014 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 10.1 तथा 13.1
पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय		
2012-13 की 8	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 11.6
2012-13 की 11	ओएनजीसी लिमिटेड के हाइड्रोकार्बन अन्वेषण प्रयासो पर निष्पादन लेखापरीक्षा	स्टैंडलोन रिपोर्ट
2013 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 10.1, 10.2, 10.4, 10.5, 12.1 **(02 कम्पनियां)**
2014 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 13.1 **(02 कम्पनियां)**, 13.2, तथा पैरा 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.6 तथा 11.8

विद्युत मंत्रालय		
2013 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 12.1 **(02 कम्पनिया)**
2014 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 12.1
सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय		
2014 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 14.2 तथा 14.3
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग		
2012-13 की 8	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 9.4
2014 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 15.1
जहाजरानी मंत्रालय		
2013 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 12.1
2014 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 16.2 तथा 16.3
सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय		
2012-13 की 8	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 9.4
इस्पात मंत्रालय		
2012-13 की 8	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 15.2
2013 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 12.1 तथा 14.3
2014 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	पैरा 13.2, 17.1, 17.2 तथा 17.3
कपड़ा मंत्रालय		
2010-11 की 10	चयनित पीएसयूज की गतिविधियो की निष्पादन लेखापरीक्षा	अध्याय X
2014 की 13	अनुपालन लेखापरीक्षा	18.1